

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-02-02/2024  
प्रेषक,

3967

/पटना, दिनांक-16/7/24

उज्ज्वल कुमार सिंह भा0प्र0से0  
सरकार के विशेष सचिव।  
सेवा में,

महालेखाकार,

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:-

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास -उप शीर्ष-0105- ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड) सम्पोषित योजना के अन्तर्गत में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल प्रावधानित राशि ₹ 99100.00 लाख (नौ सौ इक्यानवे करोड़) रु0 मात्र के विरुद्ध ₹ 30000.00000 लाख (तीन सौ करोड़) रु0 मात्र राशि व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास -उप शीर्ष-0105- ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) इकाई से पथों को सुदृढ़ीकरण/ निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल प्रावधानित राशि ₹ 99100.00 लाख (नौ सौ इक्यानवे करोड़) रु0 मात्र के विरुद्ध ₹ 30000.00000 लाख (तीन सौ करोड़) रु0 मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका विपत्र कोड- 37-4515001030105 है एवं विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य है।

2. वित्त विभाग, बिहार, पटना के यथा निदेश एवं समय-समय पर बंधेज के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना राशि की निकासी कर बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development Agency] पटना के CFMS Deposit Account- PNBPLA004 (CTMIS PL Account-PLA239) के लेजर-413 में संधारित करेंगे।

3. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष- 103-ग्राम विकास उप शीर्ष-0105- ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) मुख्य निर्माण कार्य योजना अन्तर्गत निर्धारित निति निर्देश में निहित प्रावधानों के आलोक में योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उक्त राशि का व्यय पथों को सुदृढ़ीकरण/निर्माण हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा। इस राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं जिस कार्य के लिए यह राशि आवंटित की जायेगी, उसी कार्य के लिए इस राशि को व्यय किया जायेगा।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा  
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

5. सचिव, बी0आर0आर0डी0ए0 ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड) सम्पोषित योजना अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय सीमा के अंदर ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475ए बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये दृढ़तापूर्वक पालन किया जायेगा, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एवं-4-45/94-301वि0 (2) दिनांक-31.01.1995 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम0-05-98-2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक ब-15/बी0एस0जी0-09/2024-214 दिनांक-06.03.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8- आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ0प्र0-02-02/2024 के पृष्ठ संख्या-11/टि0 पर दिनांक-28.05.2024 को प्राप्त है।

9- इस योजना की उक्त राशि के व्यय हेतु माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या-13/अ0प्र0-02-02/2024 के पृ0-27/टि0 पर दिनांक-10.07.2024 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-02/2024 3907 /पटना, दिनांक 16/7/24

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-02/2024 3907 /पटना, दिनांक 16/7/24

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/अभियंता प्रमुख, ग्रा0का0वि0/सचिव, ब्राडा ग्रा0का0वि0/सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना विभाग (योजना शाखा) एवं प्रशाखा पदाधिकारी-12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-02/2024 3907 /पटना, दिनांक 16/7/24

प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

सरकार के विशेष सचिव